साक्षर भारत

नागरिक अधिकार पत्र

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग

निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

डॉ० एस० राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक-5, जे एल एन मार्ग, जयपुर

टे.फो. नं- 0141-2708836, फैक्स- 2709025, 2701445

E-mail - dir-lit-rj@nic.in,   www.rajliteracy.org

प्रस्तावना

भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 08 सितम्बर, 2009 को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ''स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग'' की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना साक्षर भारत मिशन 2012 का शुभारंभ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक भव्य समारोह में किया गया। राज्य में साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरूआत दिसम्बर, 2009 से की जा चुकी है। साक्षर भारत कार्यक्रम भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना में 15 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के सभी असाक्षर वयस्क व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। महिला वर्ग की साक्षरता वृद्धि हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे है। इस योजना में बुनियादी साक्षरता तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम साक्षरता के मापदण्ड को उन्नत करने के लिए साथ–साथ ही संचालित होंगे। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवक आधारित इस योजना में जन अभियान के प्रयास द्वारा प्रौढ़ शिक्षा हेतु वैकल्पिक प्रयास का प्रावधान रखा गया है। क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर सभी कार्यक्रमों के प्रबंधन तथा समन्वयन के लिए लोक शिक्षा केन्द्र स्थापित किए गए है। योजना में पंचायती राज संस्थाओं का भी दायित्व इस अभियान से जोड़ा गया है। साक्षर भारत कार्यक्रम में भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का अंशदान 25 प्रतिशत रहेगा।

यह नागरिक अधिकार पत्र आपको इस विश्वास के साथ सौंपा जा रहा है कि राज्य सरकार की वचनबद्धता के अनुरूप साक्षर भारत कार्यक्रम अपने लक्ष्य एवं उद्‌देश्यों को पूर्ण करने में खरा उतरें।

(अशोक संपतराम)

प्रमुख शासन सचिव
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा
शासन सचिवालय, जयपुर

हमारा उद्देश्य

- असाक्षर वयस्कों को साक्षरता, तथा अंक ज्ञान का कौशल प्रदान करना।
- नवसाक्षरों को बुनियादी साक्षरता से आगे शिक्षार्जन जारी रखने व औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से समतुल्य शिक्षा ग्रहण करने योग्य बनाना।
- जीवन स्तर एवं आय अर्जन की दशाओं में सुधार लाने हेतु नवसाक्षरों व असाक्षरों में आवश्यक कौशल विकास प्रदान करना।
- नवसाक्षर वयस्कों को सतत शिक्षा के लिए अवसर प्रदान कर, सीखते पढ़ते समाज की रचना को प्रोत्साहित करना।

लक्ष्य

- 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयुवर्ग के वयस्कों को साक्षर करना।
- साक्षरता हेतु प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व अन्य गैर लाभांवित समूहों हेतु विशेष प्रयास करना।
- स्थानीय मांग के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण गतिविधियों एवं जीवन कौशल विकास के साथ–साथ राष्ट्रीय सरोकार के आयामों जैसे– राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण, महिला समानता आदि के प्रति जागरूक व जिम्मेवार नागरिक बनाना।
- 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयुवर्ग के व्यस्कों को बुनियादी शिक्षा तथा व्यावसायिक कार्यक्रम से जोड़ना।
- इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विभाग की प्राथमिकता महिला साक्षरता की वृद्धि पर होगी।
- साक्षरता की प्रतिशतता सतप्रतिशत तक ले जाना।

वचनबद्धता

1. वंचित वर्ग के हितों की रक्षा – राज्य में वंचित वर्ग से कमजोर एवं पिछडे वर्ग के लोगों विशेषकर महिलाओं को साक्षरता के प्रति और उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना और उनके जीवन स्तर की गुणात्मकता की वृद्धि के लिए प्रयास करना ।
2. महिला साक्षरता – महिलाओं की साक्षरता की वृद्धि करके विकास की मुख्य धारा से जोडना एवं उनका साक्षरता की दृष्टि से सबलीकरण करना ।
3. गुणात्मक अभिवृद्धि – निरक्षरों को साक्षर बनाने के साथ–साथ उनके शैक्षिक व्यावसायिक उन्नयन एवं आय अर्जन की दशाओं में सुधार लाने हेतु व्यावसायिक विकास प्रदान करना ।

जनभागीदारी

लोक शिक्षा केन्द्र के माध्यम से विविध जनसहभागिता को आमंत्रित किया जा सकता है। यदि कोई किसी लोक शिक्षा केन्द्र को गोद ले या किसी लोक शिक्षा केन्द्र पर सामान या धन राशि दान करना चाहता है तो वह प्रेरक के माध्यम से संबंधित जिले के जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी से सम्पर्क करें।

सूचना का अधिकार

1. वार्ड / गांव में कितने असाक्षरों को साक्षर किया गया है यह जानने का अधिकार दिया गया है।
2. जिला लोक शिक्षा समितियां साक्षरता अभियान पर कितना पैसा खर्च कर रही है यह सूचना के अधिकार के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जानकारी ले सकता है ।
3. लोक शिक्षा केन्द्रों पर जो सामग्री वितरित की गई है, उसकी जानकारी अभिभावक एवं ग्रामवासी ले सकते है।

<u>लोक शिक्षा केन्द्र – महत्व, कार्य एवं जानकारी</u> :

- ✓ राज्य में साक्षर भारत योजना हेतु 8873 लोक शिक्षा केन्द्रों को संचालित किया जा रहा है।
- ✓ यथा संभव लोक शिक्षा केन्द्र ग्राम पंचायत भवन अथवा सार्वजनिक स्थान पर संचालित है।
- ✓ प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पर्याप्त संसाधन युक्त बहुआयामी लोक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना।
- ✓ लोक शिक्षा केन्द्रों का संचालन 2 प्रेरकों द्वारा (मानदेय आधार पर) जिनमें प्राथमिकता के आधार पर एक महिला प्रेरक।
- ✓ लोक शिक्षा केन्द्र के माध्यम से विविध जनसहभागिता एवं साक्षरता संबंधी गतिविधियों का आयोजन। केन्द्र पर समतुल्य शिक्षा हेतु शिक्षार्थियों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान।
- ✓ लोक शिक्षा केन्द्र के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता, सूचना का अधिकार, विकास, पंचायतीराज, विधिक अधिकार, पंचायतीराज एवं अन्य विभागों के कार्यक्रमों की जानकारी दिया जाना।
- ✓ लोक शिक्षा केन्द्रों पर पुस्तकालय, अध्ययन–अध्यापन, समूह चर्चा, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास का प्रावधान।
- ✓ साक्षरता कक्षाओं से अर्जित ज्ञान का परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन।
- ✓ प्रेरकों के कार्य – 1. असाक्षर महिला/पुरूषों की बैचिंग–मैचिंग कर 10–10 के समूह में साक्षरता कक्षाओं का संचालन कराना। 2. साक्षरता केन्द्रों पर कार्य करने हेतु स्थानीय महिला/पुरूषों को प्रेरित करना। 3. ग्राम पंचायत स्तर पर साक्षरता कक्षाओं का संबलन एवं पर्यवेक्षण करना। 4. ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित किये जाने वाली

कक्षाओं का सतत एवं समग्र मूल्यांकन सुनिश्चित करवाना। 5. जन सहभागिता एवं आर्थिक जनसहयोग से सतत शिक्षा हेतु लोक शिक्षा केन्द्रों के नियमित एवं सतत संचालन के प्रयास करना। 6. शत प्रतिशत महिला साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने की स्थिति में महिला साक्षरता पुरस्कार के लिए प्रस्ताव भेजना। 7. साक्षरता कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर समन्वय का कार्य।

<u>सामग्री</u> :

- ✓ निरक्षरों के लिए जिला साक्षरता समितियों की ओर से प्रत्येक लोक शिक्षा केन्द्र पर पठन–पाठन (आखर हलचल, संदर्शिका, अगला कदम) स्लेट, पैन्सिल, कॉपी, रबर, बैठने की दरी पट्‌टी, फर्स आदि सामग्री दी जाती है।
- ✓ लोक शिक्षा केन्द्रों पर अलमारी, बक्सा, फर्नीचर (टेबल, कुर्सी,) लेखन बोर्ड, अभिलेख संधारण के रजिस्ट्रर एवं अन्य सामग्री स्थानीय आवश्यकता के अनुसार।

<u>साक्षर भारत मिशन 2012 के अन्तर्गत शिक्षा की सुविधा कैसे प्राप्त करें</u> :

1. यदि कोई निरक्षर व्यक्ति साक्षर बनना चाहता है तो उसे ग्राम पंचायत के सरपंच से सम्पर्क करना चाहिए। सरपंच के निर्देश पर पढ़ाने हेतु लोक शिक्षा केन्द्र के प्रेरक द्वारा पढ़ाने योग्य पठन–पाठन सामग्री (आखर हलचल, संदर्शिका व अगला कदम) संबंधित ग्राम के स्वयंसेवक/प्रेरक के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।
2. प्रेरक के निर्देश पर किसी स्थान पर 8–10 निरक्षरों का समूह बनाकर पढ़ाने की सुविधा उनके निवास स्थान/पंचायत भवन/सार्वजनिक भवन पर निरक्षरों की सहमति के आधार पर करायी जायेगी।

<u>प्रेरक</u>

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक केन्द्र पर दो प्रेरक कार्यरत रहेंगे जिनमें एक महिला एवं एक पुरूष होगा ।

योग्यता – 10वीं पास होना आवश्यक होगा ।
प्राथमिकता – अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थी एवं महिला वर्ग
आवेदन कहां करें – आवेदन आमंत्रित करने पर संबंधित ग्राम पंचायत के लोक शिक्षा केंद्र पर ग्राम पंचायत स्तरीय लोक शिक्षा समिति को ।
चयन प्रकिया – ग्राम पंचायत स्तर पर लोक शिक्षा समिति द्वारा सैकेण्डरी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट अनुसार।
शिकायत – ब्लाक एवं जिला स्तर पर गठित परिवेदना समिति ।
प्रकृति – पूर्णयतया अनुबंध पर ।

स्वयंसेवक आधारित योजना

- ✓ प्रत्येक लोक शिक्षा केन्द्र के अधीन ग्राम स्तर पर स्वयंसेवक आधारित साक्षरता केन्द्रों की स्थापना।
- ✓ साक्षरता केन्द्रों पर स्वयंसेवकों द्वारा शिक्षण कार्य।
- ✓ स्वयंसेवकों का चयन निःस्वार्थ स्वयंसेवी भावना के आधार पर।
- ✓ प्रत्येक स्वयंसेवक द्वारा 10 निरक्षरों को पढ़ाने का प्रयास।
- ✓ शिक्षण कार्य निरक्षर के सीखनें की गति एवं रूचि के अनुकूल।
- ✓ स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें सामाजिक सम्मान देकर उनमें गौरव की अनुभूति उत्पन्न करना।

<u>संबंधित संस्था/ अधिकारी जहाँ से सूचना/ लाभ प्राप्त किया जाना है।</u>

जिला स्तर पर :–

1. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला निष्पादक समिति।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् एवं पदेन सदस्य सचिव, जिला लोक शिक्षा समिति।
3. जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य जिला निष्पादक समिति।

ब्लॉक (पंचायत समिति) स्तर पर :–

1. प्रधान पंचायत समिति – अध्यक्ष
2. उपखण्ड अधिकारी – समन्वयक
3. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

ग्राम पंचायत स्तर पर :–

1. सरपंच – अध्यक्ष
2. सचिव ग्राम स्तरीय लोक शिक्षा समिति (ग्राम सेवक)

गुणवत्तापूर्ण प्रबन्धन :

- ✓ मुख्य पाठ्यक्रम संरचना में स्थानीय मुद्दे, व्यापक व सामयिक विषय वस्तु, राष्ट्रीय मूल्य, साक्षरता के मानक व अन्य उद्देश्य प्राप्त करने हेतु आलेखित सामग्री का समावेश।
- ✓ शिक्षार्थियों की जरूरतों, विविध सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषाई कौशल आदि पर विशेष बल।
- ✓ अधिकाधिक पढ़े–लिखे युवाओं एवं सीमांत समूहों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक) को प्रेरक चयन हेतु प्राथमिकता।
- ✓ प्रेरकों का गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण।
- ✓ बेहतर शिक्षण अधिगम तकनीक यथा समूह शिक्षण, समूह चर्चा, मनोरंजन शिक्षण को बढ़ावा।

- ✓ शिक्षार्थियों की उपलब्धियों के सटीक आकलन हेतु नवीन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग।

पर्यवेक्षण संरचना :

- ✓ कार्यक्रम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक मिशन स्वरूप में।
- ✓ राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्यक्रम का प्रबोधन व पर्यवेक्षण।
- ✓ जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर पंचायतीराज संस्थाओं को पर्यवेक्षण का दायित्व।

उत्तरदायित्व

साक्षर भारत मिशन 2012 के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को मुख्य क्रियान्वयन एजेन्सी बनाया गया है। ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सुदृढ़ सूचना तंत्र विकसित किया गया है। योजना की गतिविधियों एवं भूमिकाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है एवं तदनुसार राज्य में विभिन्न स्तरों पर पंचायतीराज संस्थाओं को निम्नानुसार उत्तरदायित्व प्रदान किए गए हैः–

राज्य स्तर पर :–

राज्य स्तर पर राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकृत योजना का कार्यक्रम व रणनीति तैयार करने, उसका क्रियान्वयन करने एवं योजना की मानिटरिंग करने हेतु उत्तरदायी है। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की शाषी परिषद के अध्यक्ष स्वयं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार हैं एवं राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की निष्पादक समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव महोदय है। उक्त दोनों समितियों में अन्य उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री तथा प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण व पंचायती राज भी सदस्य हैं।

जिला स्तर पर :–

जिला प्रमुख की अध्यक्षता में गठित जिला लोक शिक्षा समिति जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला विशेष की परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार रणनीति तैयार करेगी।

सम्पर्क सूत्र जिला स्तर पर

क्र.सं.	जिले का नाम	कोड़ नम्बर	दूरभाष नम्बर मुख्य कार्यकारी अधिकारी	दूरभाष नम्बर जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी
1	अजमेर	0145	2627411	2620257
2	अलवर	0144	2700003	2736092
3	बारां	07453	230120	231579
4	बांसवाड़ा	02962	240812	241339
5	बाड़मेर	02982	220292	220736
6	भरतपुर	05644	222633	222701
7	भीलवाड़ा	01482	232605	232600
8	बीकानेर	0151	2226004	2204703
9	बूंदी	0747	2443596	2443912
10	चित्तौड़गढ़	01472	241265	242775
11	चूरू	01562	250594	253826
12	दौसा	01427	223532	231161
13	डूंगरपुर	02964	232220	232840
14	धौलपुर	05642	220776	220874
15	गंगानगर	0154	2445075	2444904
16	हनुमानगढ़	01552	261094	265239
17	जयपुर	0141	2202039	2203640
18	जैसलमेर	02992	252410	252693
19	जालौर	02973	222341	222579
20	झालावाड़	07432	230434	232574
21	झुन्झुनू	01592	232318	232859
22	जोधपुर	0291	2650313	2555070
23	करौली	07464	250630	250107
24	नागौर	01582	240250	246211
25	पाली	02932	252806	223995
26	राजसमन्द	02952	220568	222520
27	सवाई माधोपुर	07462	220231	220575
28	सीकर	01572	270669	251246
29	सिरोही	02972	221058	220705
30	टोंक	01432	247117	247610
31	उदयपुर	0294	2414428	2413221
32	प्रतापगढ़	01478	220007	221217